न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/23/2026 दायर दिनांक 27.03.2006 रजि0 न0 2026/46

अपीलार्थीः–

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व. श्री मंजुराम गुप्ता निवासी 46–गोवर्धन कॉलोनी, गोहित गार्डन के पीछे, चोर डूंगरी, जयपुर रोड, अलवर (राज.)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

--:: निर्णय ::--

दिनांकः– 30.03.2026

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 19.02.2026 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होने पर यह अपील पेश की गई है। अतः सूचना दिलवायी जावे।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.03.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के जवाब पत्र संख्या नविवि/आर0टी0आई0/2026/14226–27 दिनांक 30.03.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 19.02.2026 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना विशिष्टियां रहित एवं बिन्दु अस्पष्ट है। जिसके क्रम में प्रार्थी को न्यास पत्र क्रमांक 13754 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। प्रति संलग्न है। अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑफलाइन पत्र स आर0टी0आई0/2026/13754 दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से चाही गई सूचना का विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है पुनः अपीलार्थी को सूचना का विनिश्चय एवं पुनः अपीलार्थी को पत्रांक नविवि/आर0टी0आई0 /2026/14226–27 दिनांक 30.03.2025 के माध्यम से भी विनिश्चय किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निरस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 30.03.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर